A5
7

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 12/14

1. जगमाल पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, पदमपुर
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री जगमाल जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर।
3. बृज लाल
4. कृष्ण लाल
5. रामचन्द पिसरान श्री शेराराम जाति जाट निवासीयान गॉव नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 438 दिनांक 11–2–08 तहसीलदार, सादुलशहर

उपस्थित : 1 श्री तेजासिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री वेद प्रकाश नारंग, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 2 से 5
3. श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1

आदेश **दिनांक : 14–1–16**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अ0 धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश की गई है, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 49 एलएलडब्ल्यू मु0 नं0 95,96,99,100 व 111 की 12.397 है0 नहरी भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्टस के नाम से मुश्तर्का खाता में दर्ज थी, जिसमें अपीलांट के नाम 5.110 व रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम से 3.593 है0 व रेस्पोडेन्ट सं0 3 ता 5 के नाम से 3.694 है0 भूमि दर्ज थी। राजस्व अभियोजन में विभाजन के समय जगमाल के नाम से 5.100 है0 भूमि दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने जगमाल व ओमप्रकाश का हिस्सा बराबर दर्ज कर दिया जबकि ओमप्रकाश का हिस्सा 3.593 है0 था और दूसरा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 की कुल भूमि में 4 विस्वा रकवा कम दर्ज किया गया। इस प्रकार जितना हिस्सा था उनके अनुसार पक्षकारान का हिस्सा दर्ज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का मौका नहीं दिया है असलिए अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वंटवारा बराबर का किया है और चार विस्वा भूमि कम कर दी है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। इस

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जगमाल व ओमप्रकाश का हिस्सा बराबर दर्ज कर दिया जबकि ओमप्रकाश का हिस्सा 3.593 है0 था और दूसरा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 की कुल भूमि में 4 विस्वा रकबा कम दर्ज किया गया। इस प्रकार जितना हिस्सा था उनके अनुसार पक्षकारान का हिस्सा दर्ज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का मौका नहीं दिया है इसलिए अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा बराबर का किया है और चार विस्वा भूमि कम कर दी है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। अपील मीमो में वर्णित किया है कि रेस्पो0 सं0 3 से 5 के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलाधीन विभाजन आदेश के आधार पर पारित किया गया है। अतः विभाजन के आदेश के आधार पर पारित इंतकाल में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है, इसमें किसी तरह की कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल विभाजन आदेश के आधार पर खोला जाकर पारित किया गया है, जो राजस्व अभियान नरसिंहपुरा में तहसीलदार, पदमपुर के आदेश कमांक 770 दिनांक 4–2–08 की पालना में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। यदि अपीलांट विभाजन आदेश से व्यथित है तो उसको सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 14–1–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्मसिंह गोठवाल) 14/1/16
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner